12/5/22

19/5/22 पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण को समन डाक द्वारा भेजकर रसीदें पेश की। रसीदें शामिल पत्रावली की गई। विपक्षीगण अनुपस्थित। विपक्षीगण

उपखण्ड अधिकारी, गुढ़ागौड़जी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 16:00:09 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

को कोई समय मे तीन बार तीन-तीन आवाजें दिलाई गई। बावजूद आवाज दिलाने के अनुपस्थित रहने के विपक्षीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। वकील वादी के बहस सुनी गई। आदेश अलग से लिखकर जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। आदेश की पालनार्थ तहसीर जारी हो। पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली नियम सुनाय होकर दाखिल दफ्तर हो।

(signature)

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 16:00:09 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 154/2021

प्रार्थीगण :–

1. मिसाराम वल्द राणाराम
   कौम मेगवाल निवासी साई शेरगढ जिला जोधपुर हाल निवासी मालियों की ढाणी, नगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. नवलाराम वल्द शोभाराम कौम सुथार निवासी भालीखाल तहसील धोरीमना
2. फूसाराम वल्द धनाराम
3. रामाराम वल्द धनाराम कौम मेगवाल निवसी बाण्ड
4. जगदीश वल्द चतराराम
5. सुन्देशा वल्द चतराराम कौम माली निवासी धानसा, बालिंग तहसील भीनमान
6. लक्ष्मीदेवी पत्नी जगाराम कौम विश्नोई निवासी कांधी की ढाणी तह0 गुड़ामालानी
7. केलम पत्नी विजयसिंह कौम राजपूत हाल निवासी मालियों की ढाणी, नगर
8. सुगणीदेवी पत्नी भीयांराम कौम मेगवाल निवासी बाण्ड
9. भेरचन्द वल्द मलूकचन्द कौम जैन निवासी जैन मोहल्ला गुड़ामालानी
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुडामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री चिमनसिंह चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. अप्रार्थीगण – अनुपस्थित

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 12/04/22

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु,नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री चिमनसिंह चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2072–2075 जमाबंदी 2078 (वर्ष 2021) से स्थायी सरहद मौजा मालियों की ढाणी तहसील गुडामालानी के खेत खसरा 597/9 रकबा 0.8094 हैक्टेयर का अवलोकन किया जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। खातेदारों की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक संसाधन लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 16:00:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा मालियों की ढाणी तहसील गुडामालानी के खेत खसरा 597/9 रकबा 0.8094 हैक्टेयर के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 500/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना RGT रावलीनाडी नगर से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 12/4/2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 16:00:09 IST
Reason: SelfAttested